न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/17/1643 विरूद्ध आदेश दिनांक 2-5-2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 159/अपील/11-12

1-कनीज फातमा बेवा अब्दुल रऊफ
2-अब्दुल समद आत्मज स्व0 रऊफ
निवासी 97, गली नम्बर-4, आशियाना कॉलोनी,
हाउसिंग बोर्ड बैरसिया रोड, भोपाल म0प्र0
जिला बैतूल म0प्र0
3-अब्दुल इकबाल आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
मकान नम्बर 162 सी सेक्टर डीआईजी बंगला के पीछे,
फिरदौस नगर बैरसिया रोड भोपाल
4-अब्दुल हबीब खॉ आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
निवासी मैकेनिक द्वारा मदरसा यासमीन,
4/4, रम्भा नगर गली नम्बर 2 के पास
बैरसिया रोड भोपाल
5-अब्दुल रईस आत्मज स्व0अब्दुल रऊफ
मकान नम्बर 162 सी सेक्टर डीआईजी बंगला के पीछे,
फिरदौस नगर बैरसिया रोड भोपाल
6-श्रीमती रेहाना खान पत्नी श्री इब्राहिम खान पुत्री स्वर्गीय श्री अब्दुल रऊफ
निवासी द्वारा भारत आर्म्स एवं एलीमेंस
बेलदारपुरा बाल बिहार रोड एमपी गन हाऊस के पीछे,
भोपाल मध्यप्रदेश

.....आवेदकगण

विरूद्ध

सुरैया खातून पत्नी श्री नजीर बैग पुत्री स्वर्गीय अब्दुल रऊफ
निवासी बडा बाग मदरसा बोर्ड के सामने इस्लामी गेट रोड,
भोपाल

.....अनावेदिका

श्री जी0एस0गुप्ता , अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0एन0मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका ने मौजा ईटखेडी सडक स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 16, 24, 23, 30, 32, 33, 46, 47 व 48 कुल किता 9 रकबा 7.38 एकड़ भूमि पैतृक होने से उसके पिता के स्वर्गवास होने के उपरांत सभी वारिसानों के नाम अंकित होना थी, किन्तु आवेदकगण ने बाला-बाला रूप से प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदिका की सहमति के बिना अपना नाम तहसील हुजूर जिला भोपाल की संशोधन क्रमांक 25 प्रमाणित दिनांक 21-11-1989 से दर्ज करा लिया है तथा प्रश्नाधीन भूमि विक्रय किये जाने हेतु क्रेता द्वारा उससे सहमति हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्पर्क किये जाने पर उक्त संशोधन संज्ञान में आने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समय बाह्य प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-3-2012 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य मानकर अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 2-5-17 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र में यह बताया कि उसे नामान्तरण आदेश की जानकारी उस समय हुई जब कुछ क्रेता ने बतौर भूमि क्रय करने के लिये अनावेदिका से सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कराना चाहे, लेकिन अनावेदिका ने अपने आवेदन पत्रके समर्थन में किसी भी एक क्रेता का नाम ना तो दर्शाया और न ही उसका शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि वह किस

दिनांक को और किस सन में अनावेदिका से भूमि को क्रय करने के लिये किस दस्तावेज पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर कराने गया इसलिये आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधिक भूल की गई है। यह भी कहा गया कि अनावेदिका जो कि आवेदक क्रमांक 1 की पुत्री एवं शेष आवेदकगण की बहन है और उसने अपनी पूर्ण सहमति से अपने हिस्से की भूमि का प्रतिफल की राशि 50,000/- रूपये प्राप्त किये जिसके संबंध में उसने लिखित में एक लिखतनामा रसीद के रूप में दिनांक14-3-99 को अनावेदिका द्वारा हस्ताक्षरित कर लिखित में दे चुकी है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भूमि के नामान्तरण की जानकारी अनावेदिका को थी ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी अनावेदिका का आधिपत्य नहीं रहा है। उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक को नहीं सुना गया है, जबकि वह वारिस होने से हितबद्ध पक्षकार थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका की अपील समय सीमा में मान्य नहीं करने में त्रुटि की गई थी । अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समय सीमा में मान्य किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर